न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

घारा 107 द.प्र.स.

100		
श की	आदेश और पदाधिकारी का हरताक्षर	आवेश पत्र पर की गई कारवाई
तिथि	उपारेवी बनाम अव्याक लामप्रवर्ग	31.517
('d')	िलयायुथाना अप्राथमिकी संo13/1.7	10/6/17
~	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	7/7/17
$\gamma_{i,0}$	सठ अ०नि०/अ०नि०	24/3/13
0	प्रतिवेदन थाना प्रभारी थाना एव	9/8/13
	अ० निरी० ने अग्रसारित किया	98/8/17
	है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच	89/13
	(आपसी विष्णु का लेकर	20 5 12
	तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	20/10/13
	भंग करने पर तले हुए तथा एक दूसरे के नान-माल पर खतरा पहुंचा	3/11/13
	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गभार तनाव	20/11/1
. ;	व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	Cinty
	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्रठसंठ की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता है	
	द०प्र०सं० की कार्यवाहा प्रारम्भ करत हुए उठाय उत्तान को 10.30 बजे कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक	
	कि व मर न्यायालय म प्रजास आपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नर्ह पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नर्ह	1
Mah	लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके 🔻 5000.00 रू० का द	n l
	ममप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाया	
	MINITED STATES	
	लेखापित एवं संशोधित	
	EN TESPILETER TIL TON TIES	V
THETH	अनमंहल दण्डाधिकारी अनुमंहल दण्डाधिका	at l